OFFICE OF THE PRINCIPAL, GOVERNMENT ENGINEERING COLLEGE, BILASPUR (C.G.) 495 009

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, बिलासपुर (छ. ग.) 495009

Phone: 07752-260289, Email:- principalgecbilaspur@gmail.com , Website:- www.gecbsp.ac.in

क्रमांक/स्था–2/2025/ 49 /बिलासपुर, दिनांक 8/1/25

–: आ दे श :–

शैक्षणिक सत्र 2024–25 के लिये चयनित अभ्यर्थियों को विभागाध्यक्ष की अनुशंसा के आधार पर अंशकालीन व्याख्याता के तौर पर सम सेमेस्टर सत्र की समाप्ति तक के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी सेटअप के तहत् संस्था में रिक्त पदों के विरूद्ध निम्न शर्तों के साथ अस्थाई रूप से नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्र.	नाम	मोबाइल न.	विभाग	रिमार्क
01	जुहिता सिंह	9039384791	सिविल	
02	तनुजा गुप्ता	7869091983	—"—	
03	निधि सूर्यवंशी	7389794466	—"—	
04	नुपूर केशरवानी	8349724244	—"—	
05	प्रिंस कुमार	8210422925	विद्युत	
06	उमा राठौर	7725083663	—"—	
07	मलका तरन्नुम	9144370922	—"—	
08	राकेश साहू	8225082543	—"—	

शर्तें:–

1. छत्तीसगढ़ शासन कौशल विकास तकनीकी शिक्षा, एवं रोजगार विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुरं अटल नगर, के पत्र क्रमांक/एफ 1–5/2022/तक.शि./42/नया रायपुर, अटल नगर, दिनांक 02.12.2022 के परिपालन में पारिश्रमिक रूपये 800/– (रूपये आठ सौ मात्र) प्रति पीरियड, जिसकी अधिकतम् सीमा रूपये 56100/– (रूपये छप्पन हजार एक सौ मात्र) प्रतिमाह देय होगी एवं शैक्षणिक अवधि तक उपस्थित रहना अनिवार्य है।
2. उपरोक्त आदेश के पारिश्रमिक को छोड़कर शासकीय सेवा में नियमितिकरण, वरिष्ठता, उच्च्व वेतनमान् आदि किसी भी प्रकार की न तो मांग और न ही किसी भी न्यायालय में दावा पेंश करेंगे
3. अंशकालीन व्याख्याता की सेवाएं आवश्यकता न होने की दशा में किसी भी समय अथवा अन्य आदेश जारी होने की स्थिति में स्वमेव समाप्त हो जावेगी।
4. उपरोक्त आदेश की निर्गमन की तिथि से दस दिवस के अन्दर अपना पदभार ग्रहण न करने पर या लगातार सात दिवस अनुपस्थित रहने की दशा में आपकी सेवाएं स्वमेव समाप्त मानी जावेगी तथा प्रतिदिन दिन महाविद्यालयीन शिक्षण समय 10:30 बजे से 05:05 बजे तक अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेंगे। तथा संस्था में स्थापित फेस स्कैनर/बायोमैट्रिक मशीन में नियमित रू॰ से उपस्थिति दर्ज करेंगें।
5. अंशकालीन व्याख्याता अपना पारिश्रमिक देयक, माह के तीन तारीख तक अनिवार्य रूप से लेखा शाखा में जमा करेंगे।
6. शैक्षणिक तथा पाठ्येत्तर गतिविधियां, प्राचार्य/विभागाध्यक्ष के द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप संपादित करनी होगी।

6

7. शैक्षणिक तथा पाठ्येत्तर गतिविधियां, प्राचार्य/विभागाध्यक्ष के द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप संपादित करनी होगी।
8. आयुक्त–सह–सचिव, तकनीकी शिक्षा संचालनालय, रोजगार एवं प्रशिक्षण, छत्तीसगढ़ के पत्र कमांक पी.ए./तक.शि./2015/708 दिनांक 11.12.2015 के संदर्भ में उपरोक्त आदेश की अवधि में किसी भी प्रकार का पूर्ण कालीन अध्ययन कर रहे अभ्यर्थी इस पद के लिए अपात्र होंगे, अतएव ऐसे अभ्यर्थी इस पद पर कार्यभार ग्रहण न करें।
9. महाविद्यालय में आयोजित होने वाली सभी प्रकार की परीक्षाओं में आवश्यकता अनुसार वीक्षक के कार्य का निर्वहन करना अनिवार्य होगा।
10. प्राचार्य/विभागाध्यक्ष के आदेशों का पालन न करने पर व किसी भी प्रकार की अनुशासन हीनता दर्शाने पर यह सेवा तत्काल समाप्त की जावेगी।

08/01/25

प्राचार्य,
शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय,
बिलासपुर छ.ग.

पृष्ठांकक0/स्था–2/2025/ बिलासपुर, दिनांकः–

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. संचालक, तकनीकी शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन, ब्लाक–तीन, तृतीय एवं चतुर्थ तल अटल नगर रायपुर छ0ग0।
2. विभागाध्यक्ष, सिविल, विद्युत, शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, बिलासपुर छ.ग. इस अभियुक्ति सहित कि वे चयनित अभ्यर्थीयों को समय सीमा में पदभार ग्रहण करने हेतु उनके मोबाईल पर सूचित करना सुनिश्चित करें।
3. प्रभारी अधिकारी, अंशकालीन व्याख्याता, शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, बिलासपुर छ0ग0।
4. लेखापाल/देयक लिपिक, शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, बिलासपुर छ0ग0।
5. सूचना पटल, शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, बिलासपुर छ0ग0।
6. संबंधित की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
7. वेबसाईट प्रति।

प्राचार्य,
शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय,
बिलासपुर छ.ग.